श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
Sri Dev Suman Uttarakhand University Badshahithall Tehri Garhwal (Uttarakhand) -249 199

Tel.: 01376-254065 (O)
Fax : 01376-254065
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. no. Memo /Confidential/SDSUV/2019-20 Dated :- 17/10/2019

प्रेस विज्ञप्ति

बी0एड0 ऑफलाईन प्रवेश सूचना – (2019–21)

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों/निजी, स्ववित्त पोषित संस्थानों के बी0एड0 द्विवर्षीय सत्र 2019–21 मे शासकीय/स्ववित्त पोषित, स्टेट कोटे, एवं प्रबन्धकीय कोटे की सीटों मे प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम एवं द्वितीय आनलाईन कांउसिलिंग के माध्यम से संस्थान को आंवटित सीटों के अनुरूप प्रवेश के पश्चात रिक्त रह गई सीटों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार **दिनांक : 18.10.2019 से दिनांक : 28.10.2019 तक ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया** सम्पन्न करवाई जानी है।

अतः समस्त बी0एड0 शैक्षणिक संस्थान संलग्न विवरणानुसार/निर्देशानुसार दिनांक : 28.10.2019 की सायं 05 बजे प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराना सुनिश्चित करते हुऐ दिनांकः 30.10.2019 तक प्रवेश सम्बन्धित सूचना विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

e.mail-coesdsuv@gmail.com

डॉ0(आर0एस0 चौहान)
परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को दिनांक– 18.10.2019 के संस्करण मे उच्च शिक्षा के हितों को मध्यनजर रखते हुए अपने सम्मानित समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें
2– निजि सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सुलभ सूचनार्थ।
3– वरिष्ठ वित्त अधिकारी महोदया।
4– कुलसचिव महोदय।
5– सहायक परीक्षा नियन्त्रक (मुख्य/व्यावसायिक)।
6– प्रभारी परीक्षा/ लेखानुभाग/गोपनीय अनुभाग।
7– श्री कुलदीप सिंह नेगी, को उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की आधिकरिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8 – कार्यालय प्रति।

डॉ0(आर0एस0 चौहान)
परीक्षा नियन्त्रक

Scanned by CamScanner

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
Sri Dev Suman Uttarakhand University Badshahithaul Tehri Garhwal (Uttarakhand) - 249 199
Tel.: 01376-254065 (O)
Fax : 01376-254065
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. No Memo /Confidential/SDSUV/2019 Dated :- 17/10/2019

बी0एड0 सत्र 2019–2021 की कॉमन प्रवेश परीक्षा /ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश के पश्चात रिक्त सीटों के सापेक्ष ऑफ लाईन प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश।

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की बी0एड0 सत्र 2019–2021 की शासकीय, शासकीय स्ववित्त पोषित, स्टेट कोटे एवं प्रबन्धकीय कोटे की सीटों मे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम एवं द्वितीय आनलाईन कांउसिलिंग के माध्यम से संस्थान को आंवटित सीटों के अनुरूप प्रवेश के पश्चात रिक्त रह गई सीटों में प्रवेश हेतु माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये निर्णय के अनुरूप प्रत्येक बी0एड0 शैक्षणिक संस्थान निम्नांकित नियमों के अनुरूप ही अपने संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

1. प्रत्येक शैक्षिक संस्थान द्वारा अपने संस्थान में वर्गवार एवं श्रेणीवार रिक्त सीटों में विश्वविद्यालय/शासकीय नियमानुसार दिनांक : 28 अक्टुबर, 2019 तक प्रत्येक दशा में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय एवं दिनांक : 30 अक्टुबर, 2019 तक प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची आवश्यक प्रपत्रों सहित अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा कर दिया जाय।

2. प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग की भॉती निर्धारित शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु रू. 700.00 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु रू. 400.00 प्रति अभ्यर्थी की दर से निर्धारित किया जाय। उक्त शुल्क डिमांड ड्राफट के रूप में जो कि वित्त अधिकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढवाल के नाम से टिहरी में देय हो, के रूप में लिया जाय एवं प्रवेश हेतु पंजीकृत समस्त अभ्यर्थियों का पंजीकरण शुल्क पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची सहित प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा कर दिया जाय।

3. प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट ही एक मात्र आधार है। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी दशा में प्रवेश न दिया जाय जिसने विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2019–21 हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण न की हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी संस्थान द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाता है तो इस प्रकार का प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा/विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण दायित्व (विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कृत कार्यवाही एवं न्यायिक प्रक्रिया) सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान का होगा।

4. प्रवेश प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक शासकीय/अशासकीय/प्रबन्धकीय संस्थान अपने संस्थान में सर्वप्रथम राजकीय कोटे की सीटों में प्रवेश दें। राजकीय कोटे की सीटों में प्रवेश पूर्ण होने के पश्चात ही प्रबन्धकीय/स्ववित्त पोषित कोटे की सीटों में प्रवेश दिया जाय।

Scanned by CamScanner

5. प्रवेश देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में आवंटित सीटों मे प्रवेश वर्ग (विज्ञान/ कला) एवं आरक्षित श्रेणी (सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग) तथा क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार ही दिया जाय। अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान का होगा।

6. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के दावों के सत्यापन हेतु गठित प्रवेश समिति द्वारा पूर्व की भांति वांछित प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच एवं समिति की संस्तुति के पश्चात ही प्रवेश दिया जाय।

डॉ0(आर0एस0 चौहान)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजि सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सुलभ सूचनार्थ।
2— कुलसचिव महोदय।
3— वरिष्ठ वित्त अधिकारी महोदया।
5— सहायक परीक्षा नियंत्रक।
6— प्रभारी परीक्षा/ लेखानुभाग/गोपनीय अनुभाग।
7— कार्यालय प्रति।

डॉ0(आर0एस0 चौहान)
परीक्षा नियंत्रक

Scanned by CamScanner